भारत के राष्ट्रीय प्रतीक

प्रत्तेक व्यक्ति को स्वतंत्र हवा में साँस लेने, अपना मत प्रकट करने दैहिक और प्राणों की रक्षा करने का अधिकार होता है और भारत के निवासियों को यह अधिकार कठिन संघर्षो और अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों के उपरान्त 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुआ | इस वर्ष भारत ने अपना 76वाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया |

राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) :- भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जिसे 22 जुलाई 1947 में भारतीय संविधान के द्वारा स्वीकृत किया गया | भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है | भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जिसे हम तिरंगा कहते हैं तीन रंग है केसरिया पट्टी जो देश की ताकत और साहस का प्रतीक है सफेद पट्टी शांति और सत्य का प्रतीक है हरी पट्टी देश के विकास और उर्वरता को दर्शाती है और मध्य में एक चक्र है जिसमें 24 तीलियां है जिसका रंग नीला है भारत के निरंतर प्रगतिशील होने का सूचक है | इस चक्र का व्यास लगभग सफेद पट्टी के बराबर ही होता है | भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन एन पिंगलई के द्वारा बनाया गया था |

राष्ट्रीय आदर्श वाक्य = भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है जिसका अर्थ है सत्य की हमेशा विजय होती है भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य को सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ से लिया गया है

राष्ट्रीय पशु = भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ को भारतीय संविधान सभा के द्वारा अप्रैल 1973 में मान्यता दी गई 1973 से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रेस है |

राष्ट्रीय संवत = भारत के राष्ट्रीय संवाद के रूप में शक संवत को भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता दी गई है शक संवत का प्रयोग भारत सरकार और आकाशवाणी के द्वारा जारी संचार व्यक्तियों में गिरी गिरी गोरियन कैलेंडर के साथ प्रयोग किया जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 22 मार्च 1957 और शक संवत के अनुसार एक चैत्र अट्ठारह सौ 79 को इसे भारतीय संविधान के द्वारा अपनाया गया था शक संवत के अनुसार मास साल का प्रथम मास चेत्र और साल का अंतिम मासिया महीना फाल्गुन होता है |

राष्ट्रीय गान :- भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है जिसे रविंद्र नाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया है | भारत के राष्ट्रीय गान को गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है | भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता के 26वें अधिवेशन में गाया गया था | हमारे राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के द्वारा अपनाया गया | भारत के राष्ट्रीय गान को भारत के सभी महत्वपूर्ण अवसरों पर गाये जाने का प्रावधान है |

राष्ट्रीय गीत :- भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है इसके दो छंद को 1950 में आधिकारिक रुप से भारत के राष्ट्रगीत के रुप में अंगीकृत किया गया था। वहीं वास्तविक वन्दे मातरम् में छः छंद है। इस गीत को बंकिमचन्द्र चैटर्जी ने 1882 में बंगाली और संस्कृत भाषा में अपने उपन्यास आनन्दमठ् में लिखा था | भारत के राष्ट्रीय गीत को भारतीय संविधान के द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया | इसे गाने में लगभग 65 सेकंड का समय लगता है | भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन (कलकत्ता) में गाया गया था | आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से ही की जाती है

राष्ट्रीय चिन्ह :- भारत का राष्ट्र चिन्ह सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित और सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के द्वारा अपनाया गया | अशोक स्तंभ में मूलतः 4 सिंह है सामने से देखने पर केवल तीन सिंह ही दिखाई देते है | सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ से राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में मूलतः शीर्ष भाग को ही लिया गया है | राष्ट्रीय चिन्ह में शेर के अतिरिक्त सिंह सांड और घोड़े की प्रतिमाएं भी बनी हुई है |

राष्ट्रीय पक्षी :- भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है जिसे 26 जनवरी 1963 को भारतीय संविधान के राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया | मोर बेहद सुंदर पक्षी होता है जो प्रायः दक्षिण एशिया में पाया जाता है |मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है| भारतीय वन एवं वन्य प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम 1972 के अंतर्गत मोर को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है |

राष्ट्रीय संवत :- भारत के राष्ट्रीय संवाद के रूप में शक संवत को भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता दी गई है शक संवत का प्रयोग भारत सरकार और आकाशवाणी के द्वारा जारी संचार व्यक्तियों में गिरी गिरी गोरियन कैलेंडर के साथ प्रयोग किया जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 22 मार्च 1957 और शक संवत के अनुसार 1 चैत्र 1879 को इसे भारतीय संविधान के द्वारा अपनाया गया था | शक संवत के अनुसार साल का प्रथम मास चैत्र और साल का अंतिम महीना फाल्गुन होता है |

सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न :- भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 2 जनवरी 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी | भारत रत्न पुरस्कार कला, विज्ञान, साहित्य, खेल तथा सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है | डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1954 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया | डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ ही सी.वी. रमन और सी. राजगोपालाचारी को भी इस पुरस्कार से सम्मनित किया गया था| सचिन तेंदुलकर एकमात्र तथा सबसे कम उम्र (40 वर्ष) के खिलाड़ी हैं, जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, तथा डीके कर्वे सबसे अधिक उम्र (100 वर्ष) के व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया|

भारत रत्न तांबे से बना पीपल के पत्ते के आकार का होता है और बीच में प्लैटिनम का चमकता सूर्य बना होता है तथा इसके नीचे चांदी में भारत रत्न लिखा होता है इसके पीछे की तरफ राज्य का प्रतीक और राज्य का आदर्श वाक्य होता है और यह सफेद फीते के साथ पहना जाता है | प्रतिवर्ष 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है और प्रत्येक वर्ष अधिकतम तीन व्यक्तियों को ही यह पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्तेक वर्ष यह पुरस्कार प्रदान ही किये जाये |

भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र और एक मेडल दिया जाता है भारत रत्न के अंतर्गत नगद राशि देने का कोई भी प्रावधान नहीं है |1966 से पहले भारत में मरणोपरांत भारत रत्न देने की परंपरा नहीं थी लेकिन 1966 से मरणोपरांत भारत रत्न देने की परंपरा की शुरुआत हुई | मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री जी थे | एक मात्र भारत रत्न जो वापस ले लिया गया वह सुभाषचंद्र बोस को प्रदान किया गया था | उन्हें यह सम्मान 1992 में प्रदान किया गया लेकिन कुछ विवादों के कारण उनके नाम के आगे से मरणोपरांत हटा लिया गया | इस प्रकार से अभी तक भारत में कुल 11 व्यक्तियों को ही मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है | वर्ष 2014 तक भारत रत्न को खेल जगत से नहीं जोड़ा गया था, 2014 में ही प्रथम बार खेल जगत के व्यक्तित्व सचिन तेंदुलकर को यह रत्न प्रदान किया गया | सचिन तेंदुलकर के साथ ही वैज्ञानिक सी.एन.आर.राव को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया | भारत रत्न प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला श्रीमती इंदिरा गांधी थी | खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी नागरिक हैं जिन्हें 1987 में भारत रत्न प्रदान किया गया |

नवीनतम सूची की घोषणा 25 जनवरी 2019 को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की गयी | नवीनतम सूची के अनुसार भारत रत्न प्राप्त करता व्यक्तियों में प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारीका है| उन्हें यह पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा प्रदान किया गया | यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये क्रमशः 46, 47 और 48वें नंबर के व्यक्ति है | भूपेन हजारिका और नाना जी देशमुख को यह पुरस्कार मरणोपरांत प्राप्त हुआ है |अब तक कुल 48 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हो चुके है |

राष्ट्रीय आदर्श वाक्य :- भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है जिसका अर्थ है सत्य की हमेशा विजय होती है 'सत्यमेव जयते' मूलतः मुण्डक-उपनिषद का मंत्र 3.1.6 है। राष्ट्रीय वाक्य के रूप में मंत्र के केवल दो शब्दों को ही लिया गया है | पूर्ण मंत्र इस प्रकार है:

सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः।

येनाक्रमंत्यृषयो ह्याप्तकामो यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्॥

(श्लोक/ मंत्र का अर्थ :- अंततः सत्य की ही जय होती है न कि असत्य की। यही वह मार्ग है जिससे होकर आप्तकाम (जिनकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों) ऋषीगण जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं।)

यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। 'सत्यमेव जयते' को राष्ट्रीय पटल पर लाने और उसका प्रचार-प्रसार करने का श्रेय मदन मोहन मालवीय को जाता है |

राष्ट्रीय फूल :- कमल के फूल को भारत में राष्ट्रीय फूल का दर्जा प्राप्त है |इसका वैज्ञानिक नाम नील्यूम्बो न्यूसीफेरा है। यह फूल उर्वरता, ज्ञान, समृद्धि, सम्मान, लंबी आयु और सुंदरता को दिखाता है।

राष्ट्रीय वृक्ष- वट(बरगद) वृक्ष :- देश के राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा वट वृक्ष को मिला हुआ है। यह एकता और दृढ़ता का प्रतीक है | जिस प्रकार भारत के विभिन्न धर्म व जाति के लोग एक साथ निवास करते हैं ठीक उसी प्रकार वट के पेड़ की शाखाओं पर एक साथ कई छोटे और बड़े जन्तु निवास करते हैं। इस वृक्ष का धार्मिक महत्व होने के साथ इसमें कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं।

राष्ट्रीय नदी गंगा :- गंगा नदी को देश की सबसे पवित्र नदी का दर्जा प्राप्त हैं | गंगा नदी की उत्पत्ति उत्तराखण्ड के हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से होती है | जहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है | यह नदी करीब 2525 किलोमीटर लम्बी है और बांग्लादेश के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। प्राचीन समय से ही हिन्दूओं के लिये गंगा नदी का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व रहा है। इसके पवित्र जल को कई अवसरों पर इस्तेमाल किया जाता है |

राष्ट्रीय मुद्रा रुपया :- भारत की आधिकारिक करेंसी भारतीय रुपया है। इसके संबंधित सभी मुद्दों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रित करता है। भारतीय रुपये को देवनागरी लिपि के 'र' और रोमन लिपि के 'R' से चिन्हित किया गया है। 15 जुलाई 2011 को रुपये के चिन्ह के साथ भारत में सिक्कों की शुरुआत हुई | इस चिन्ह को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मुम्बई के पोस्ट ग्रेजुएट छात्र श्री डी. उदय कुमार ने बनाया है। इस चिन्ह को वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित एक खुली प्रतियोगिता में प्राप्त हजारों डिजायनों में से चुना गया था |

राष्ट्रीय पशु :- भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ को भारतीय संविधान सभा के द्वारा अप्रैल 1973 में मान्यता दी गई 1973 से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था | बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस है | भारतीय वन्यजीव सुरक्षा की धारा 1972 के तहत इसे सुरक्षा प्रदान की गयी है।

राष्ट्रीय विरासत पशु :- भारत सरकार ने अक्टूबर 2010 को एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया | राष्ट्रीय वन्यजीव की स्थाई बोर्ड समिति ने इस संदर्भ में 13 अक्टूबर 2010 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की थी |

राष्ट्रीय जलीय जीव :- मीठे पानी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है 18 मई 2010 को भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय क्वार्टिक पशु के रूप में गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया | इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1 में शामिल किया गया है ज्ञातव्य है कि 5 अक्टूबर 2009 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की बैठक में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुझाव पर गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किए जाने का आग्रह किया गया था जिससे के बाद यह निर्णय लिया गया |

भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी :- भारत ने अभी तक किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के तौर पर मान्यता नहीं दी है, लेकिन हिन्दी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, यह भाषा सरकारी कार्य के लिए उपयोग की जाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिन्दी को भारत की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है।